



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1939 (श10)

(सं0 पटना 566) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

29 जून 2017

एस० ओ० 109 दिनांक 29 जून 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अधिनियम के अधीन किसी निबंधित या अनिबंधित व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से अथवा किसी निबंधित या अनिबंधित परिवहनकर्ता या उनकी ओर से मालों के परिवहन हेतु निम्न प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैं।

भाग—1

राज्य के बाहर से राज्य के भीतर माल का परिवहन। 1. (1) पचास हजार रूपयों से अधिक मूल्य के मालों के किसी सम्प्रेषण को राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के अन्दर किसी निबंधित व्यक्ति द्वारा मंगाये जाने हेतु परिवहन के दौरान वाहन चालक/परिवहनकर्ता द्वारा माल के आपूर्ति के संदर्भ में निर्गत कर बीजक/बिल ऑफ सप्लाई (आपूर्ति से अन्यथा स्थिति में चालान) तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न एवं इस अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जनित 'बिहार ई—वे बिल प्रपत्र-IX' रखा जाना आवश्यक होगा। इस हेतु निबंधित व्यक्ति द्वारा विभागीय वेबसाइट www.biharcommercialtax.gov.in पर उनके user ID एवं password के माध्यम से login किया जाएगा। ऐसे व्यवसायी जो वर्तमान में ई—सेवाओं हेतु निबंधित नहीं हैं, उन्हें राज्य के बाहर से माल मंगवाए जाने हेतु सर्वप्रथम विभागीय वेबसाइट पर ई—सेवाओं हेतु पंजीयन प्राप्त करना होगा। इस हेतु ऐसे व्यक्ति को ई—सर्विसेज के अधीन "new user ? sign up" को click करते हुए स्क्रीन पर खुलने वाले आवेदन को भरा जाना होगा एवं इसके पश्चात् सिस्टम द्वारा दिए निदेश का पालन करते हुए इस हेतु "user" के रूप में सिस्टम में चिन्हित किया जाना होगा।

(2) इसके पश्चात् उक्त निबंधित व्यक्ति द्वारा विभागीय वेबसाइट पर 'बिहार ई—वे बिल' Icon को click करते हुए Password से login किया जायेगा।

(3) Login के उपरांत इस अधिसूचना के साथ संलग्न 'बिहार ई—वे बिल प्रपत्र-IX' में खुलने वाले फारम को निबंधित व्यक्ति द्वारा भरा जाना होगा। इन सूचनाओं के भरे जाने के उपरांत तथा इस हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध निदेश के अनुरूप preview करने एवं

संतुष्ट होने के उपरांत submit button को click किया जाना होगा एवं इसके साथ ही उक्त सूचनायें स्वतः विभागीय वेबसाइट/डाटाबेस में अपलोड हो जायेंगी।

- (4)(क) सूचना अपलोड होते ही एक पावती रसीद सिस्टम द्वारा जेनरेट होगी जिस पर 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-IX' पहचान संख्या अंकित होगी। इस पावती का प्रिंट आउट निबंधित व्यक्ति द्वारा लिया जा सकेगा एवं प्रिंट आउट नहीं लिए जाने की दशा में उक्त संख्या निबंधित व्यक्ति द्वारा वाहन के चालक अथवा उनके परिवहनकर्ता को उपलब्ध करवाई जानी होगी।
- (ख) संप्रेषण के संदर्भ में सूचना अपलोड किए जाने में किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा उक्त खण्ड (क) में उल्लिखित 16 अंकों की उक्त संख्या सृजित होने के उपरांत त्रुटि का पता चलने की दशा में आवेदन को, अथवा सृजित की गई संख्या को, निबंधित व्यक्ति द्वारा सिस्टम में उपलब्ध विकल्प एवं शर्तों के अनुसार रद्द किया जा सकेगा।
- (5) राज्य में प्रविष्टि के पश्चात्, आयुक्त द्वारा अधिकृत उचित अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर चालक द्वारा वाहन पर लदे सभी सम्प्रेषणों से संबंधित 16 अंकों की उक्त विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-IX' पहचान संख्या ऐसे अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा एवं इस संख्या को उक्त अधिकारी द्वारा सिस्टम में प्रविष्टि किया जायेगा।
- (6) खंड (5) में उल्लेखित अधिकारी द्वारा उक्त संख्या को कम्प्यूटर में प्रविष्टि किया जाएगा एवं प्रविष्टि के उपरांत वाहन में लदे उक्त सम्प्रेषण से संबंधित पूर्व में अपलोड की गई सारी सूचनाएँ अवलोकन हेतु स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। जाँच के क्रम में इसके सत्यापन के उपरांत वाहन को आगे परिवहन की अनुज्ञा दी जाएगी एवं यह तथ्य भी कम्प्यूटर में प्रविष्टि होगा।
- (7) ऐसे सम्प्रेषण जिसके परिवहन हेतु 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-IX' पहचान संख्या अपेक्षित हो, के संदर्भ में ऐसी संख्या प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा खंड (6) में उल्लेखित सत्यापन के क्रम में उचित अधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना में किसी अनियमितता पाये जाने की दशा में ऐसे अधिकारी द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की सुसंगत धारा के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
- (8) खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-IX' पहचान संख्या विभागीय कम्प्यूटर में प्रथम बार प्रविष्टि होने के पश्चात् निष्क्रिय हो जायेगी।
- (9) खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-IX' पहचान संख्या जनित किए जाने के समय से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लेखित दूरियों के परिवहन हेतु तालिका के आनुषांगिक स्तम्भ (3) में उल्लेखित अवधि तक वैध होगी—

क्रमांक	संप्रेषण के उद्गम से गंतव्य तक की दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1	100 किलोमीटर से कम	24 घंटे
2	100 किलोमीटर या इससे अधिक परंतु 300 किलोमीटर से कम	72 घंटे
3	300 किलोमीटर या इससे अधिक परंतु 500 किलोमीटर से कम	120 घंटे
4	500 किलोमीटर या इससे अधिक परंतु 1000 किलोमीटर से कम	240 घंटे
5	1000 किलोमीटर या इससे अधिक	480 घंटे

- 2.(1) किसी अनिबंधित व्यक्ति द्वारा राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के अन्दर माल लाए जाने के मामले में परिवहन के दौरान वाहन चालक/परिवहनकर्ता द्वारा माल के आपूर्ति के संदर्भ में निर्गत कर बीजक/बिल ऑफ सप्लाई (आपूर्ति से अन्यथा स्थिति में चालान) एवं निम्न प्रक्रिया के अनुसार जनित 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र C-TAN' रखा जाना आवश्यक होगा।
- (2) कंडिका (1) में वर्णित व्यक्ति द्वारा विभागीय वेबसाइट www.biharcommercialtax.gov.in पर मौजूद Icon 'बिहार ई-वे बिल'को Select किया जाएगा एवं तदुपरान्त C-TAN का चुनाव

- किया जाएगा। चुनाव के उपरांत जो Window खुलेगा उसे सही-सही भरने एवं Submit किये जाने के उपरांत PAN Validate होने पर, अनिबंधित व्यक्ति को उनके ई-मेल एवं मोबाईल पर user ID एवं password प्राप्त होगा।
- (3) उपरोक्त वर्णित व्यक्ति द्वारा इसके पश्चात विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर इस user ID एवं password के माध्यम से login किया जाएगा। login के पश्चात बिहार ई-वे बिल Icon के माध्यम से 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-IX' में सूचना दर्ज की जायेगी।
 - (4) सूचना अपलोड होते ही एक पावती रसीद सिस्टम द्वारा जेनरेट होगी जिस पर 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्रC-TAN' पहचान संख्या अंकित होगी। इस पावती का प्रिंट आउट निबंधित व्यक्ति द्वारा लिया जा सकेगा एवं प्रिंट आउट नहीं लिए जाने की दशा में उक्त संख्या निबंधित व्यक्ति द्वारा वाहन के चालक अथवा उनके परिवहनकर्ता को उपलब्ध करायी जानी होगी।
 - (5) ऐसे सम्प्रेषण जिसके परिवहन हेतु 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्रC-TAN' पहचान संख्या अपेक्षित हो, के संदर्भ में ऐसी संख्या प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा सत्यापन के क्रम में उचित अधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की गई सूचना में किसी अनियमितता पाये जाने की दशा में ऐसे अधिकारी द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की सुसंगत धारा के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

भाग-2

राज्य के भीतर से राज्य के बाहर माल का सम्प्रेषण। 3. (1) पचास हजाररूपयों से अधिक मूल्य के मालों के किसी सम्प्रेषण को राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर प्रेषित करने के मामले में परिवहन के दौरान वाहन चालक/परिवहनकर्ता द्वारा माल के आपूर्ति के संदर्भ में निर्गत कर बीजक/बिल ऑफ सप्लाई (आपूर्ति से अन्यथा स्थिति में चालान) तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न एवं इस अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जनित 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-X' रखा जाना आवश्यक होगा। इस हेतु निबंधित व्यक्ति को विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर उनके user ID एवं password के माध्यम से login किया जाएगा। ऐसे निबंधित व्यक्ति जो वर्तमान में ई सेवाओं हेतु निबंधित नहीं है उन्हें राज्य के बाहर माल प्रेषित करने हेतु सर्वप्रथम विभागीय वेबसाईट पर ई सेवाओं हेतु पंजीयन प्राप्त करना होगा। इस हेतु निबंधित व्यक्ति को ई-सर्विसेज के अधीन "new user ? sign up" को click करते हुए स्क्रीन पर खुलने वाले आवेदन को भरा जाना होगा एवं इसके पश्चात् सिस्टम द्वारा दिए निदेश का पालन करते हुए इस हेतु "user" के रूप में सिस्टम में चिन्हित किया जाना होगा।

- (2) इसके पश्चात् निबंधित व्यक्ति द्वारा विभागीय वेबसाईट पर 'बिहार ई-वे बिल'Icon को click करते हुए Password से login किया जायेगा।
- (3) Login के उपरांत इस अधिसूचना के साथ संलग्न 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-X'में खुलने वाले फारम को निबंधित व्यक्ति द्वारा भरा जाना होगा। इन सूचनाओं के भरे जाने के उपरांत तथा इस हेतु वेबसाईट पर उपलब्ध निदेश के अनुरूप preview के उपरांतsubmit button को click किया जाना होगा एवं इसके साथ ही उक्त सूचनायें स्वतः विभागीय वेबसाईट/डाटाबेस में अपलोड हो जायेंगी।
- (4)(क) सूचना अपलोड होते ही एक पावती रसीद सिस्टम द्वारा जेनरेट होगी जिस पर 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-X'इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या अंकित होगी। इस पावती का प्रिंट आउट निबंधित व्यक्ति द्वारा लिया जा सकेगा एवं प्रिंट आउट नहीं लिए जाने की दशा में उक्त संख्या निबंधित व्यक्ति द्वारा वाहन के चालक अथवा उनके परिवहनकर्ता को उपलब्ध करवाई जानी होगी।
- (ख) सम्प्रेषण के संदर्भ में सूचना अपलोड किए जाने में किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा उक्त खण्ड (क) में उल्लिखित 16 अंकों की उक्त संख्या सृजित होने के उपरांत त्रुटि का पता चलने की दशा में आवेदन को, अथवा सृजित की गई संख्या को, निबंधित व्यक्ति द्वारा सिस्टम में उपलब्ध विकल्प एवं शर्तों के अनुसार रद्द किया जा सकेगा।
- (5) मालों का परिवहन प्रारम्भ होने के पश्चात्, आयुक्त द्वारा अधिकृत उचित अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर चालक द्वारा वाहन पर लदे सभी सम्प्रेषणों से संबंधित 16 अंकों की

- उक्त 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-X'पहचान संख्या ऐसे अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा एवं इस संख्या को उक्त अधिकारी द्वारा सिस्टम में प्रविष्ट किया जायेगा।
- (6) खंड (5) में उल्लेखित अधिकारी द्वारा उक्त संख्या को कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया जाएगा एवं प्रविष्टि के उपरांत वाहन में लदे उक्त सम्प्रेषण से संबंधित पूर्व में अपलोड की गई सारी सूचनाएँ अवलोकन हेतु स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। जाँच के क्रम में इसके सत्यापन के उपरांत वाहन को आगे परिवहन की अनुज्ञा दी जाएगी एवं यह तथ्य भी कम्प्यूटर में प्रविष्ट होगा।
 - (7) ऐसे सम्प्रेषण जिसके परिवहन हेतु 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-X'पहचान संख्या अपेक्षित हो के संदर्भ में ऐसी संख्या प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा खंड (6) में उल्लेखित सत्यापन के क्रम में उचित अधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना में किसी अनियमितता पाये जाने की दशा में ऐसे अधिकारी द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की सुसंगत धारा के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
 - (8) खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-X'पहचान संख्या विभागीय कम्प्यूटर में प्रथम बार प्रविष्ट होने के पश्चात् निष्क्रिय हो जायेगी।
 - (9) खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-X'पहचान संख्या जनित किए जाने के समय से छः(06) दिनों की अवधि तक वैध होगी।

भाग—3

राज्य के भीतर से राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान को माल का सम्प्रेषण।

4. (1) दो लाख रुपये से अधिक मूल्य के मालों के किसी सम्प्रेषण को राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान को किसी निबंधित व्यक्ति द्वारा प्रेषित किए जाने हेतु परिवहन के दौरान वाहन चालक/परिवहनकर्ता द्वारा माल के आपूर्ति के संदर्भ में निर्गत कर बीजक/बिल ऑफ सप्लाई (आपूर्ति से अन्यथा स्थिति में चालान) तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न एवं इस अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जनित 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VIII' रखा जाना आवश्यक होगा। इस हेतु निबंधित व्यक्ति को विभागीय वेबसाइट www.biharcommercialtax.gov.in पर उनके user ID एवं password के माध्यम से login किया जाएगा। ऐसे निबंधित व्यक्ति जो वर्तमान में ई सेवाओं हेतु निबंधित नहीं हैं उन्हें राज्य के बाहर से माल मंगवाए जाने हेतु सर्वप्रथम विभागीय वेबसाइट पर ई सेवाओं हेतु पंजीयन प्राप्त करना होगा। इस हेतु ऐसे निबंधित व्यक्ति को ई-सर्विसेज के अधीन "new user ? sign up" को click करते हुए स्क्रीन पर खुलने वाले आवेदन को भरा जाना होगा एवं इसके पश्चात् सिस्टम द्वारा दिए निर्देश का पालन करते हुए इस हेतु "user" के रूप में सिस्टम में चिन्हित किया जाना होगा।
- (2) इसके पश्चात् निबंधित व्यक्ति द्वारा विभागीय वेबसाइट पर 'बिहार ई-वे बिल' icon को click करते हुए Password से login किया जायेगा।
- (3) Login के उपरांत इस अधिसूचना के साथ संलग्न 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VIII' में खुलने वाले फारम को निबंधित व्यक्ति द्वारा भरा जाना होगा। इन सूचनाओं के भरे जाने के उपरांत तथा इस हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देश के अनुरूप preview के उपरांत submit button को click किया जाना होगा एवं इसके साथ ही उक्त सूचनायें स्वतः विभागीय वेबसाइट/डाटाबेस में अपलोड हो जायेंगी।
- (4) (क) सूचना अपलोड होते ही एक पावती रसीद सिस्टम द्वारा जेनरेट होगी जिस पर 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VIII' संव्यवहार पहचान संख्या अंकित होगी। इस पावती का प्रिंट आउट निबंधित व्यक्ति द्वारा लिया जा सकेगा एवं प्रिंट आउट नहीं लिए जाने की दशा में उक्त संख्या निबंधित व्यक्ति द्वारा वाहन के चालक अथवा उनके परिवहनकर्ता को उपलब्ध करवाई जानी होगी।

- (ख) संप्रेषण के संदर्भ में सूचना अपलोड किए जाने में किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा उक्त खण्ड (क) में उल्लिखित 16 अंकों की उक्त संख्या सृजित होने के उपरांत त्रुटि का पता चलने की दशा में आवेदन को, अथवा सृजित की गई संख्या को, निबंधित व्यक्ति द्वारा सिस्टम में उपलब्ध विकल्प एवं शर्तों के अनुसार रद्द किया जा सकेगा।
- (5) मालों का परिवहन प्रारम्भ होने के पश्चात्, आयुक्त द्वारा अधिकृत उचित अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर चालक द्वारा वाहन पर लदे सभी सम्प्रेषणों से संबंधित 16 अंकों की उक्त 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VIII' पहचान संख्या ऐसे अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा एवं इस संख्या को उक्त अधिकारी द्वारा सिस्टम में प्रविष्ट किया जायेगा।
- (6) खंड (5) में उल्लेखित अधिकारी द्वारा उक्त संख्या को कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया जाएगा एवं प्रविष्टि के उपरांत वाहन में लदे उक्त सम्प्रेषण से संबंधित पूर्व में अपलोड की गई सारी सूचनाएँ अवलोकन हेतु स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। जाँच के क्रम में इसके सत्यापन के उपरांत वाहन को आगे परिवहन की अनुज्ञा दी जाएगी एवं यह तथ्य भी कम्प्यूटर में प्रविष्ट होगा।
- (7) ऐसे सम्प्रेषण जिसके परिवहन हेतु 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VIII' पहचान संख्या अपेक्षित हो के संदर्भ में ऐसी संख्या प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा खंड (6) में उल्लेखित सत्यापन के क्रम में उचित अधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई सूचना में किसी अनियमितता पाये जाने की दशा में ऐसे अधिकारी द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की सुसंगत धारा के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
- (8) खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VIII' पहचान संख्या विभागीय कम्प्यूटर में प्रथम बार प्रविष्ट होने के पश्चात् निष्क्रिय हो जायेगी।
- (9) खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VIII' पहचान संख्या जनित किए जाने के समय से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लेखित दूरियों के परिवहन हेतु तालिका के आनुषांगिक स्तम्भ (3) में उल्लेखित अवधि तक वैध होगी—

तालिका

क्रमांक	संप्रेषण के उद्गम से गंतव्य तक की दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1	100 किलोमीटर से कम	36 घंटे
2	100 किलोमीटर या इससे अधिक	144 घंटे

- (10) जहाँ आपूर्ति से भिन्न मालों का परिवहन अयांत्रिक वाहन द्वारा व्यवसाय परिसर से 10 किलोमीटर तक की परिधि में किया जा रहा हो, उपर्युक्त खण्ड (1) में उल्लिखित 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VIII' पहचान संख्या रखे जाने से विमुक्ति होगी।

भाग—4

राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को माल का सम्प्रेषण।

- 5.(1) राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को माल के परिवहन हेतु परिवहनकर्ता को विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in से इस अधिसूचना के साथ संलग्न 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VII' में ट्रांजीट पास सृजित करना होगा एवं परिवहन के दौरान इस अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जनित उक्त प्रपत्र के साथ माल के आपूर्ति के संदर्भ में निर्गत कर बीजक/बिल ऑफ सप्लाई (आपूर्ति से अन्यथा स्थिति में चालान) रखेगा। इस हेतु विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर 'बिहार ई-वे बिल' Icon में T-TAN (Transporter Transaction Access Number) से संबंधित Icon पर click करना होगा। click करते ही परिवहनकर्ता को अपने नाम, पता, प्राधिकृत व्यक्ति, पैन, बैंक एकाउन्ट नम्बर, टेलिफोन नम्बर तथा अपने GSTIN अथवा Enrollment Number, यदि हो तो, आदि विवरण को भर कर उक्त हेतु अपने आपको निबंधित करना होगा तथा उसे अपना पासवर्ड एवं security question and answer से विन्हित करना होगा।
- (2) इसके पश्चात् परिवहनकर्ता को T-TAN संख्या आवंटित हो जाएगी एवं इसके बाद भविष्य में उन्हें वेबसाईट पर उसी लॉग-इन एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ट्रांजीट पास जनित कर सकेंगे।
- (3) परिवहनकर्ता द्वारा विभागीय वेबसाईट पर मालों के परिवहन सम्बन्धित Icon को click करते हुए खुलने वाले फारम को भरा जाना होगा। इन सूचनाओं के भरे जाने के उपरान्त submit button click करने पर उक्त फारम स्वतः विभागीय वेबसाईट/डाटाबेस में अपलोड हो जाएगा। यह सूचना राज्य में प्रवेश के पूर्व कभी भी एवं कहीं से भी अपलोड की जा सकती है।
- (4) सूचना अपलोड होते ही एक पावती रसीद सिस्टम द्वारा जेनरेट होगी जिस पर 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VII' संख्या अंकित होगी। इस पावती का प्रिंट आउट परिवहनकर्ता द्वारा लिया जा सकेगा।
- (5) राज्य में प्रविष्टि के पश्चात् अथवा मार्गस्थ, आयुक्त द्वारा अधिकृत उचित अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर चालक द्वारा वाहन पर लदे सभी सम्प्रेषणों से संबंधित 16 अंकों की उक्त विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VII' पहचान संख्या ऐसे अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाएगा एवं इस संख्या को उक्त अधिकारी द्वारा सिस्टम में प्रविष्टि किया जायेगा।
- (6) ऐसे सम्प्रेषण जिसके परिवहन हेतु 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VII' पहचान संख्या अपेक्षित हो के संदर्भ में ऐसी संख्या प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा खंड (5) में उल्लेखित सत्यापन के क्रम में उचित अधिकारी द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की गई सूचना में किसी अनियमितता पाये जाने की दशा में ऐसे अधिकारी द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की सुसंगत धारा के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
- (7) खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार सृजित 16 अंकों की विशिष्ट 'बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VII' पहचान संख्या विभागीय कम्प्यूटर में प्रथम बार प्रविष्टि होने के पश्चात् निष्क्रिय हो जायेगी।

बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-IX

(राज्य के बाहर से बिहार राज्य के भीतर माल के परिवहन हेतु)
माल प्रेषिती का विवरण

नाम:
वैट/जी०एस०टिन:
पता:
देश:
राज्य:
ई-मेल का पता :
दूरभाष संख्या:
फैक्स संख्या:

माल प्रेषक का विवरण

निबंधन की स्थिति: निबंधित/अनिबंधित
(निबंधित का चुनाव करने पर प्रेषक का वैट/जी०एस०टिन देना बाध्यकारी है)
वैट/जी०एस०टिन:
नाम:
पता:
देश:
राज्य:
ई-मेल का पता :
दूरभाष संख्या:
फैक्स संख्या:
प्रेषण स्थल :
माल का गंतव्य स्थान:
गंतव्य तक की दूरी:
स्थान, जहाँ माल की डिलीवरी ली जानी है:
ट्रांसपोर्टर का विवरण
ट्रांसपोर्टर का नाम:
वाहन संख्या:
चालक का नाम:
ड्राइविंग लाइसेंस नंबर:
बिहार राज्य में प्रवेश करने का सम्भावित स्थान:

माल का विवरण

विक्रेता द्वारा जारी किया गया दस्तावेज

विक्रेता का बीजक संख्या :
विक्रेता के बीजक की तिथि :
कॉमोडिटी फिल्टर:
माल का नाम :
मूल्य :
मात्रा :
इकाई

ट्रांसपोर्टर द्वारा जारी किया गया दस्तावेज

कन्साईनमेन्ट नोट क्रमांक :
कन्साईनमेन्ट नोट की तिथि :

बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-X

(राज्य के भीतर से बिहार राज्य के बाहर माल के परिवहन हेतु)

प्रेषिती का विवरण

निबंधन की स्थिति: निबंधित/अनिबंधित

नाम:

पता :

देश :

राज्य :

ईमेल का पता :

दूरभाष संख्या :

फैक्स संख्या :

माल प्रेषक का विवरण

नाम:

वैट/जी०एस०टिन:

पता :

देश :

राज्य :

ईमेल का पता :

दूरभाष संख्या :

फैक्स संख्या :

प्रेषण स्थल :

माल का गंतव्य स्थान :

गंतव्य तक की दूरी :

स्थान, जहाँ माल की डिलीवरी ली जानी है :

ट्रांसपोर्टर का विवरण

ट्रांसपोर्टर का नाम :

वाहन संख्या :

चालक का नाम :

ड्राइविंग लाइसेंस नंबर :

राज्य से बाहर निकलने का सम्भावित स्थान:

माल का विवरणविक्रेता द्वारा जारी किया गया दस्तावेज

विक्रेता का बीजक संख्या :

विक्रेता के बीजक संख्या की तिथि :

कॉमोडिटी फिल्टर:

माल का नाम :

मूल्य :

मात्रा :

इकाई

ट्रांसपोर्टर द्वारा जारी किया गया दस्तावेज

कन्साईनमेन्ट नोट क्रमांक :

कन्साईनमेन्ट नोट की तिथि :

बिहार ई-वे बिल प्रपत्र- VIII
(राज्यान्तर्गत माल के परिवहन हेतु)
माल प्रेषक का विवरण

नाम:
वैट/जी०एस०टिन:
पता :
देश :
राज्य :
ईमेल का पता :
दूरभाष संख्या :
फैक्स संख्या :
प्रेषण स्थल :
माल का गंतव्य स्थान :

माल प्रेषिती का विवरण

निबंधन की स्थिति: निबंधित/अनिबंधित
(निबंधित का चुनाव करने पर प्रेषक का वैट/जी०एस०टिन देना बाध्यकारी है)
वैट/जी०एस०टिन:

नाम:
पता :
देश :
राज्य :
जिला :
ईमेल का पता :
दूरभाष संख्या :
फैक्स संख्या :

ट्रांसपोर्टर का विवरण

ट्रांसपोर्टर का प्रकार : (स्वयं/ट्रांसपोर्टर)
ट्रांसपोर्टर का टिन/टैन :
जी०एस०टिन/ईएन :
ट्रांसपोर्टर के फर्म का नाम :
ट्रांसपोर्ट का माध्यम :
वाहन संख्या :
चालक का नाम :
ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर :
कैरियर लोडिंग लोकेशन :
वाहन संख्या :
लोडिंग लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट का माध्यम :
कैरियर अनलोडिंग लोकेशन :
वाहन संख्या :
अनलोडिंग लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट का माध्यम :
परिवहन की दूरी :

ट्रांसपोर्टर द्वारा जारी किया गया दस्तावेज

कन्साईनमेन्ट नोट क्रमांक :
कन्साईनमेन्ट नोट की तिथि :

माल का विवरण
विक्रेता द्वारा जारी किया गया दस्तावेज

दस्तावेज का प्रकार :
विक्रेता का बीजक संख्या :
विक्रेता के बीजक की तिथि :
कॉमोडिटी फिल्टर:
माल का नाम :
मूल्य:
मूल्य कर रहित :

कर की राशि :
मात्रा :
इकाई :

बिहार ई-वे बिल प्रपत्र-VII

(बिहार राज्य के बाहर किसी स्थान से बिहार के बाहर किसी अन्य स्थान को माल के परिवहन हेतु)

ट्रांसपोर्टर का विवरण

ट्रांसपोर्टरका नाम:

वाहन के मालिक का विवरण

नाम :
पता :
पैन नं० :
ईमेल का पता :
दूरभाष संख्या :
वाहन का विवरण :
वाहन संख्या :
इंजन नंबर :
चेचिस नंबर :

चालक का विवरण

चालक का नाम :
ड्राइविंग लाईसेंस नंबर :
दूरभाष संख्या :

माल का आरंभ स्थल :

देश :
राज्य :
जिला :

माल का गंतव्य :

देश :
राज्य :
जिला :

बिहार राज्य में प्रवेश करने का सम्भावित स्थान:
बिहार राज्य से निकलने का सम्भावित स्थान:

माल प्रेषिती का विवरण

नाम:
पता :
देश :
राज्य :
वैट/जी०एस०टीन० :
ईमेल का पता :
दूरभाष संख्या :
फैक्स संख्या :
गंतव्य स्थल :

माल प्रेषक का विवरण

नाम :
पता :
देश :
राज्य :
वैट/जी०एस०टीन० :
ईमेल का पता :
दूरभाष संख्या :
फैक्स संख्या :
प्रेषण स्थल :

माल प्रेषक—माल प्रेषिती का विवरण
माल का विवरण
माल प्रेषक—माल प्रेषिती का विवरण
विक्रेता द्वारा जारी किया गया दस्तावेज

विक्रेता का बीजक संख्या :
विक्रेता के बीजक की तिथि :

ट्रांसपोर्टर द्वारा जारी किया गया दस्तावेज

कन्साईनमेन्ट नोट क्रमांक :
कन्साईनमेन्ट नोट की तिथि :
कॉमोडिटी फिल्टर:
माल का नाम :
मूल्य :
मात्रा :
इकाई :

7. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रभावी होगी।

(सं० बिक्री—कर/जीएसटी/विविध—11/2017—2210)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ० 110, एस०ओ० 109 दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(संचिका सं० बिक्री—कर/जीएसटी/विविध—11/2017—2210)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 29th June 2017

S.O.109 dated 29th June 2017— In exercise of the powers conferred under Section 68 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Bihar is pleased to specify the following procedure for transportation of goods by or on behalf of a registered or unregistered person or by or on behalf of a registered or un-registered transporter.

PART-1

Transportation of goods from a place outside the State of Bihar to a place inside the State of Bihar.

1. (1) The driver of a vehicle/transporter shall, in the event of transportation of any consignment of goods exceeding fifty thousand rupees in value, by or on behalf of a registered person from any place outside the State of Bihar to any place inside the State of Bihar shall carry a tax invoice/bill of supply (delivery challan in cases other than supply) and a 'Bihar e-way bill Form - IX' appended to this notification and generated in accordance with the procedure specified in this notification. The registered person shall login to the official website of the department, www.biharcommercialtax.gov.in by using his user id and password. Such registered person who are not registered

- for e-services shall, before receiving supplies of goods from outside the State shall be registered on the said website for such services. Such person shall click the “new user ?sign up” icon under e-services and fill up the Form available on the screen and follow the instructions of the system and be registered as a user on the system.
- (2) Thereafter the said registered person shall click the 'Bihar e-way bill' icon on the departmental website and login through his user id and password.
 - (3) Upon successful login the said person shall furnish the details in 'Bihar e-way bill Form -IX' appended to this notification. Upon filling up the said Form and, in accordance with the instructions available on the screen, the said person shall preview the Form generated on the screen and upon such preview and after satisfying himself with the information displayed on the screen, he shall click the “submit” button and the information furnished by him shall be automatically uploaded on to the departmental website/database.
 - (4)(a) Upon successful upload of the information an acknowledgement receipt, containing a 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form -IX' identification number, shall be generated by the system. A printout of which can be obtained by the registered person and, where no such printout is taken, the said identification number shall be made available to the transporter or to the driver of the vehicle.
 - (b) Where an error in the information uploaded regarding the consignment is discovered or where such error is discovered after generation of the unique number referred to in sub-clause (a) the said application or the said number can be cancelled in accordance with the option and subject to the condition available on the system.
 - (5) The driver of the vehicle shall, upon entry into the State and upon being required so to do by the proper officer authorized in this behalf by the Commissioner, furnish the 16 digit 'Bihar e-way bill Form -IX' identification number and the said officer shall enter the said number into the system.
 - (6) The officer referred to in clause (5) shall enter the number referred to in the said clause into the system and the information furnished in respect of the consignments loaded on to the vehicle shall be displayed for viewing on the screen. Upon successful validation of the consignment and the information in respect thereof, the vehicle shall be permitted to move forward and this shall also be recorded on the system.
 - (7) Where the 'Bihar e-way bill Form-IX' identification number is not furnished in respect of any consignments where such number is required or upon discovery of any irregularity upon verification and validation by the proper officer in accordance with the provisions of clause (6) with the information uploaded on the departmental website, the said officer shall proceed to initiate action in accordance with the relevant provisions of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.
 - (8) The 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form -IX' identification number generated in accordance with the provisions of clause (4) shall become inactive upon entry into the departmental system.
 - (9) The 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form -IX' identification number generated in accordance with the provisions of clause (4) shall, in respect of the distances specified in column (2) of the following Table, be valid from the time of its generation till the period specified in column (3) of the said Table:-

TABLE

Sl.No.	Distance between the origin and the destination of the consignment	Validity Period
(1)	(2)	(3)
1	Less than 100 kilometers	24 Hours.
2	100 kilometers or more but less than 300 kilometers	72 Hours.
3	300 kilometers or more but less than 500 kilometers	120 Hours.
4	500 kilometers or more but less than 1000 kilometers	240 Hours.
5	1000 kilometer or more	480 Hours.

- 2.(1) An unregistered person shall, in the event of transportation of any consignment of goods from any place outside the State of Bihar to any place inside the State of Bihar, during movement of the goods carry an “Bihar e-way Bill Form C-TAN” (generated in the manner specified here in below) along with the tax invoice/bill of supply (delivery challan in cases other than supply).
- (2) The person referred to in clause (1) shall click the “Bihar e-way Bill” icon on the official website of the department, www.biharcommercialtax.gov.in and select the “C-TAN” option and furnish the information in the space provided in the Window that opens after such selection. Upon successfully furnishing the correct information and upon validation of the PAN furnished by him, a User Id along with a password shall be generated and transmitted to the said person on the e-mail address and mobile number furnished by him.
- (3) The said person shall login to the official website of the department, www.biharcommercialtax.gov.in using the User Id and password transmitted to him, click the “Bihar e-way Bill” icon and furnish information in “Bihar e-way Bill Form-IX” and submit the said information.
- (4) Upon successful upload of the information an acknowledgement receipt, containing a 16 digit unique “Bihar e-way Bill CTAN” identification number, shall be generated by the system. A printout of which can be obtained by the applicant. The 16 digit unique “Bihar e-way Bill CTAN” identification number, or the printout of the acknowledgement receipt shall be handed over to the transporter.
- (5) Where the “Bihar e-way Bill CTAN” identification number, is not furnished in respect of any consignments where such number is required or upon discovery of any irregularity upon verification and validation by the proper officer with the information uploaded on the departmental website, the said officer shall proceed to initiate action in accordance with the relevant provisions of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.

PART-2***Transportation of goods from a place inside the State of Bihar to a place outside the State of Bihar.***

- 3.(1) The driver of a vehicle/transporter shall, in the event of transportation of any consignment of goods exceeding fifty thousand rupees in value, by or on behalf of a registered person from any place inside the State of Bihar to any place outside the State of Bihar shall carry a tax invoice/bill of supply (delivery challan in cases other than supply) and a 'Bihar e-way bill Form - X' appended to this notification and generated in accordance with the procedure specified in this notification. The registered person shall login to the official website of the department, www.biharcommercialtax.gov.in by using his user id and password. Such registered person who are not registered for e-services shall, before supplying shall register on the said website for such services. Such person shall click the “new user ?sign up” icon under e-services and fill up the Form available on the screen and follow the instructions of the system and be registered as a user on the system.
- (2) Thereafter the said registered person shall click the 'Bihar e-way bill' icon on the departmental website and login through his user id and password.
- (3) Upon successful login the said person shall furnish the details in 'Bihar e-way bill Form -X' appended to this notification. Upon filling up the said Form and, in accordance with the instructions available on the screen, the said person shall preview the Form generated on the screen and upon such preview and after satisfying himself with the information displayed on the screen, he shall click the “submit” button and the information furnished by him shall be automatically uploaded on to the departmental website/database.
- (4) (a) Upon successful upload of the information an acknowledgement receipt, containing a 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form -X' identification number, shall be generated by the system. A printout of which can be obtained by the registered person and, where no such printout is taken, the said identification number shall be made available to the transporter or to the driver of the vehicle.
- (b) Where an error in the information uploaded regarding the consignment is discovered or where such error is discovered after generation of the unique number referred to in sub-clause (a) the said application or the said number can be cancelled in accordance with the option and subject to the condition available on the system.
- (5) The driver of the vehicle shall, upon entry into the State and upon being required so to do by the proper officer authorized in this behalf by the Commissioner, furnish the 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form -X' number and the said officer shall enter the said number into the system.
- (6) The officer referred to in clause (5) shall enter the number referred to in the said clause into the system and the information furnished in respect of the consignments loaded on to the vehicle shall be displayed for viewing on the screen. Upon successful validation of the consignment and the information in respect thereof, the vehicle shall be permitted to move forward and this shall also be recorded on the system.

- (7) Where the 'Bihar e-way bill Form -X' identification number is not furnished in respect of any consignments where such number is required or upon discovery of any irregularity upon verification and validation by the proper officer in accordance with the provisions of clause (6) with the information uploaded on the departmental website, the said officer shall proceed to initiate action in accordance with the relevant provisions of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.
- (8) The 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form -X' number generated in accordance with the provisions of clause (4) shall become inactive upon entry into the departmental system.
- (9) The 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form -X' number generated in accordance with the provisions of clause (4) shall be valid for a period of six days from the time of its generation.

PART-3

Transportation of goods from a place inside the State of Bihar to any other place inside the State of Bihar.

4. (1) The driver of a vehicle/transporter shall, in the event of transportation of any consignment of goods exceeding two lakhs rupees in value, by or on behalf of a registered person from any place inside the State of Bihar to any other place inside the State of Bihar shall carry a tax invoice/bill of supply (delivery challan in cases other than supply) and a 'Bihar e-way bill Form-VIII' appended to this notification and generated in accordance with the procedure specified in this notification. The registered person shall login to the official website of the department, www.biharcommercialtax.gov.in by using his user id and password. Such registered person who are not registered for e-services shall, before receiving supplies of goods from outside the State shall register on the said website for such services. Such person shall click the “new user ?sign up” icon under e-services and fill up the Form available on the screen and follow the instructions of the system and be registered as a user on the system.
- (2) Thereafter the said registered person shall click the 'Bihar e-way bill' icon on the departmental website and login through his user id and password.
- (3) Upon successful login the said person shall furnish the details in 'Bihar e-way bill Form – VIII' appended to this notification. Upon filling up the said Form and, in accordance with the instructions available on the screen, the said person shall preview the Form generated on the screen and upon such preview and after satisfying himself with the information displayed on the screen, he shall click the “submit” button and the information furnished by him shall be automatically uploaded on to the departmental website/database.
- (4) (a) Upon successful upload of the information an acknowledgement receipt, containing a 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form – VIII' identification number, shall be generated by the system. A printout of which can be obtained by the registered person and, where no such printout is taken, the said identification number shall be made available to the transporter or to the driver of the vehicle.

- (b) Where an error in the information uploaded regarding the consignment is discovered or where such error is discovered after generation of the unique number referred to in sub-clause (a) the said application or the said number can be cancelled in accordance with the option and subject to the condition available on the system.
- (5) The driver of the vehicle shall, upon entry into the State and upon being required so to do by the proper officer authorized in this behalf by the Commissioner, furnish the 16 digit 'Bihar e-way bill Form – VIII' number and the said officer shall enter the said number into the system.
- (6) The officer referred to in clause (5) shall enter the number referred to in the said clause into the system and the information furnished in respect of the consignments loaded on to the vehicle shall be displayed for viewing on the screen. Upon successful validation of the consignment and the information in respect thereof, the vehicle shall be permitted to move forward and this shall also be recorded on the system.
- (7) Where the 'Bihar e-way bill Form – VIII' identification number is not furnished in respect of any consignments where such number is required or upon discovery of any irregularity upon verification and validation by the proper officer in accordance with the provisions of clause (6) with the information uploaded on the departmental website, the said officer shall proceed to initiate action in accordance with the relevant provisions of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.
- (8) The 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form – VIII' identification number generated in accordance with the provisions of clause (4) shall become inactive upon entry into the departmental system.
- (9) The 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form – VIII' identification number generated in accordance with the provisions of clause (4) shall, in respect of the distances specified in column (2) of the following Table, be valid from the time of its generation till the period specified in column (3) of the said Table:-

Table

Sl.No.	Distance between the origin and the destination of the consignment	Validity Period
(1)	(2)	(3)
1	Less than 100 kilometers	36 Hours.
2	100 kilometers or more	144 Hours.

- (10) Goods transported for the purposes of other than by way of supply through non mechanised vehicle within the radius of ten kilometers from the place of business shall be exempted from carrying 16 digit Bihar e-way bill Form VIII as prescribed in clause (1) above.

PART-4

Transportation of goods from a place outside the State of Bihar to any other place outside the State of Bihar.

5. (1) Every transporter shall, in the event of transportation of any consignment of goods from any place outside the State of Bihar to any other place outside the State of Bihar shall generate a transit pass in 'Bihar e-way bill Form –VII' appended to this notification from the official website of the department, www.biharcommercialtax.gov.in and carry a tax invoice/bill of supply (delivery challan in cases other than supply) and the said declaration in Form generated in accordance with the procedure specified in this notification. For this purpose, the said transporter shall click the icon relating to T-TAN (Transporter Transaction Access Number) under the 'Bihar e-way bill' icon on the official website of the department, www.biharcommercialtax.gov.in. The said person shall furnish his name, address, authorized person, PAN, Bank Account Number, Telephone Number and his GSTIN or Enrollment Number, if available and registered himself by answering the security question available on the screen.
- (2) There upon a T-TAN shall be allotted by the system to the transporter and the said number along with password shall be used by him for generating transit passes on the system.
- (3) The transporter shall click the icon related to transportation on the departmental website and shall furnish information in the Form that appears on the screen. Upon furnishing the said information the transporter shall click the “submit” on the screen and the said Form shall automatically be uploaded on the departmental website/database. The said information may be uploaded from any place and at any time.
- (4) Upon successful upload of the information an acknowledgement receipt, containing a 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form –VII' identification number, shall be generated by the system, a printout of which can be obtained by the transporter.
- (5) The driver of the vehicle shall, upon entry into the State or en-route in the State and upon being required so to do by the proper officer authorized in this behalf by the Commissioner, furnish the 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form –VII' identification number and the said officer shall enter the said number into the system.
- (7) Where the 'Bihar e-way bill Form –VII' identification number is not furnished in respect of any consignments where such number is required or upon discovery of any irregularity upon verification and validation by the proper officer in accordance with the provisions of clause (6) with the information uploaded on the departmental website, the said officer shall proceed to initiate action in accordance with the relevant provisions of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.
- (8) The 16 digit unique 'Bihar e-way bill Form –VII' identification number generated in accordance with the provisions of clause (4) shall become inactive upon entry into the departmental system

Bihar e-way bill Form IX

(For transportation of goods from outside the state to inside Bihar)

Basic Details of Consignee

Name :

GSTIN/VAT:

Address :

Country :*

State :

Email Address :

Phone Number:

Fax Number :

Basic Details of Consignor

Registration Status :* Registered/Unregistered

Note: If registered is selected above then it will be mandatory to give either VAT or GSTIN

GSTIN/VAT:

Name :*

Address :*

Country :*

State :

Email Address :

Phone Number:

Fax Number :

Place of Dispatch:*

Destination of Consignment:*

Transportation Distance(km)*

Place from where delivery is to be taken:

Basic Details of Transporter

Transporter Name :*

Vehicle Number :*

Driver Name :

Driving License Number :

Likely place of entry in the state ***Description of Consignment****Document issued by Seller**

Seller Invoice Number:*

Seller Invoice Date:*

Commodity Filter :*

Name of the Goods :*

Value :*

Quantity :*

Unit :*

Document issued by Transporter

Consignment Note Number:

Consignment Note Date:

Bihar e-way bill Form X

(For transportation of goods from inside the state to outside Bihar)

Basic Details of Consignee

Registration Status :* Registered/Unregistered
 Name :*
 Address :*
 Country :*
 State :
 Email Address :
 Phone Number:
 Fax Number :

Basic Details of Consignor

Name :
VAT/GSTIN:
 Address :*
 Country :*
 State :
 Email Address :
 Phone Number:
 Fax Number :
 Place of Dispatch:*
 Destination of Consignment:*
 Distance from Origin: (in kms)*
 Place from where delivery is to be taken:

Basic Details of Transporter

Transporter Name :*
 Vehicle Number :*
 Driver Name :
 Driving License Number :
Likely point of exit from state*

Description of Consignment

Document issued by Seller
 Seller Invoice Number:*
 Commodity Filter:
 Name of the Goods :*
 Value :*
 Quantity :*
 Unit :*

Document issued by Transporter

Consignment Note Number:
 Consignment Note Date:

Bihar e-way bill Form VIII
(For transportation of goods within the state)

Basic Details of Consignor

Name :

GSTIN/VAT:

Address :*

Country :*

State :

Email Address :

Phone Number:

Fax Number :

Place of Dispatch:*

Destination of Consignment:*

Basic Details of Consignee

Registration Status :* Registered/Unregistered

Note: If registered is selected above then it will be mandatory to give either VAT or GSTIN.

VAT/GSTIN:

Name :*

Address :*

Country :*

State :

District :*

Email Address :

Phone Number:*

Fax Number :

Basic Details of Transporter

Transport Type :*

Transporter TIN/TAN :*

GSTIN/EN

Transporter Firm Name :

Mode of Transport :*

Vehicle Number :

Driver Name :

Driving License Number :

Carrier Loading Location :*

Vehicle Number :

Mode of Transport to Loading Location :

Carrier Unloading Location :*

Vehicle Number :

Mode of Transport from Unloading Location :

Transportation Distance(km)*

Document issued by Transporter

Consignment Note Number:

Consignment Note Date:

Description of Consignment
Document issued by Seller

Document Type :*
Seller Invoice Number:*
Seller Invoice Date:*
Commodity Filter:
Name of the Goods :*
Value :
Quantity :*
Unit :*
Value without Tax :*
Tax Amount :*

Bihar e-way bill Form VII

(For transportation of goods from a place outside the state of Bihar to any other place outside the state of Bihar)

Basic Details of Transporter

Transporter Name:

Basic Details of Truck Owner

Name :*
Address :*
PAN Number :
Email Address :
Phone Number:*
Vehicle Details:
Vehicle Number :*
Engine Number :*
Chassis Number :*

Driver Details

Driver Name :*
Driving License Number :*
Phone Number:*

Consignment Origin Consignment Destination

Country :*	Country :*
State :	State :
District :	District :

Likely place of entry into state of Bihar

Likely point of exit from the state of Bihar

Basic Details of Consignee Basic Details of Consignor

Name :*	Name :*
Address :*	Address :*
Country :*	Country :*
State :	State :
VAT/GSTIN :*	VAT/GSTIN :*
Email Address :	Email Address :
Phone Number:*	Phone Number:*
Fax Number :	Fax Number :
Destination of Consignment:*	Place of Dispatch:*

Consignee-Consignor Details
Description of Consignment

Consignee-Consignor Details:

Document issued by Seller

Seller Invoice Number:*

Seller Invoice Date:*

Document issued by Transporter

Consignment Note Number:*

Consignment Note Date:*

Commodity Filter:

Name of Goods :*

Value :*

Quantity :*

Unit :*

7. This notification shall come into force with effect from 01 July, 2017.

[(File No Bikrikar/GST/vividh-11/2017-2210)]

By order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 566-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>